अध्यायय प्रथम

प्रस्तावना

भूमिका :

भारतीय शिक्षा आज एक विचित्र मनः स्थिति में जी रही है । उपलब्धियों पर गर्व करती हुई, और निष्कर्षों पर लज्जित । भारत स्वतंत्र हुआ तो उसी दिन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने अपने जनसंदेश में घोषित किया –

"भविष्य हमें पुकार रहा है । हम किधर चलेंगे और हमारा प्रयास क्या होगा ? आम आदमी तक, भारत के किसानों और मजदूरों तक, स्वतंत्रता और अवसर पहुँचाना, गरीबी और अज्ञान, बीमारी से संघर्ष करना और उन्हें खत्म करना, एक संपन्न लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना, और सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक संस्थाऐं बड़ी करना, जो प्रत्येक नर–नारी को न्याय और जीवन की संपूर्णता दिला सके" (गुप्ता, 1990 PP.1–2)

इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिये शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है, यह एक सर्वस्वीकृत तथ्य है । शिक्षा ही वह सामाजिक संस्था है, जो न्याय और जीवन की संपूर्णता, स्वतंत्रता, गरीबी और बीमारी से मुक्ति प्रत्यक्षतः भले न दे, की दिशा दिखाकर प्राप्ति के लिये संघर्ष की प्रेरणा अवश्य दे सकती है । शिक्षा ही समाज और समाज की प्रगति की आधार शिला होती है । शिक्षा ही व्यक्ति की नैसर्गिक क्षमताओं को विकसित कर उन्हें समाज का अर्थपूर्ण सदस्य बनाती है । यही कारण है, कि देश के विभिन्न जनजातिय क्षेत्र शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के कारण सामाजिक एवं आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं ।

वर्तमान परिपेक्ष्य में बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी एवं इन दोनों के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था के तहत किसी भी देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा ही

संभव है । व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा का आवश्यक अंग बनाकर जन – जन तक पहुँचाया जाना चाहिये, चाहें वह भारत के महानगर हों या दूर दराज के जनजातिय क्षेत्र ।

जनजातियाँ सभ्य समाज से दूर पिछड़ी हुई एवं समाज द्वारा शोषित जातियाँ हैं, जो कि शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं । आजादी प्राप्त कर लेने और संविधान बनने पर इस वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिये प्रयत्न आरम्भ हुए [1] । संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजातियों के लिये कहा गया है, कि –

"राज्य जनता के दुर्बलतम वर्गों विशेषकर अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा उनके आर्थिक हितों के लिये विशेष प्रयास करेगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा" (शर्मा 1994, P. -13)

जनजातियों की शैक्षिक उन्नति तथा सामाजिक विकास हेतु द्विस्तरीय प्रयास जारी हैं । परंतु जनजातिय क्षेत्रों में शासकीय प्रयासों एवं शैक्षिक साधनों की व्यवस्था के बावजूद अपेक्षित शैक्षिक उन्नति का अभाव है, अत: शिक्षाविदों ने जनजातिय क्षेत्रों में वर्षों से चल रही शासकीय शालाओं की अपेक्षा अनुदान प्राप्त आश्रम शालाओं को अधिक महत्व दिया है । शिक्षाविदों के अनुसार जो शासकीय शालाऐं वर्षों से आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, उनकी तुलना में अनुदान प्राप्त स्वायत्त शैक्षिक संस्थाऐं एवं आश्रम शालाऐं गुणात्मक दृष्टि से इनसे बेहतर एवं अधिक काम करती हैं (आदिम जाति कल्याण विभाग, R. -1989, P.-21)

<u>आवश्यकता एवं महत्व</u> :

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जनजातिय क्षेत्रों में शैक्षिक विकास हेतु अनुदान प्राप्त आश्रम

विद्यालय संचालित हैं । अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालयों पर पर्याप्त शोध कार्य नहीं हुआ है, वहीं दूसरी ओर जनजातिय समुदाय वर्तमान युग में ऐसे स्थान पर खड़ा है, जहाँ से ऊर्जा के स्त्रोतों के दोहन द्वारा मानव समाज के हित एवं प्रगति के साथ साथ स्वयं जनजातियों की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति संभव है । परंतु वर्तमान परिपेक्ष्य में बेरोजगारी के बढ़ते दावानल को जनजातिय क्षेत्रों से भी अलग नहीं किया जा सकता है । आज जनजातिय क्षेत्रों में भी व्यावसायिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि जनजातिय क्षेत्रों के विद्यार्थी अपनी रूचि अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर व्यावसाय की बारीकियों को समझ कुशलता प्राप्त करें एवं स्वरोजगाररत् होकर अपने देश एवं समाज के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में भी सहयोग दे सकें ।

अतः इस संदर्भ में शोध कार्य की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट है ।

शोध में छात्राओं को लिये जाने का कारण मुख्यतः यह है, कि – नेहरू जी ने 1963 में कहा था कि –

"लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है, परंतु एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है" – (अग्निहोत्री, 1987, P.-261).

वहीं कभी कभी ऐसे भी अवसर आते हैं जब परिवार को आर्थिक सहयोग देना आवश्यक होता है और स्त्रियों को कोई व्यवसाय अपनाना पड़ता है । कभी परिवार के मुख्य सदस्य के न रहने पर स्वयं भरण पोषण की चिंता करनी पड़ती है, अपने आश्रितों की चिंता करनी पड़ती है । आजकल की सामाजिक व्यवस्था में, वर्तमान महंगाई और व्यवस्था के युग में स्त्री शिक्षा का महत्व और बढ़ गया है ।

और यह तथ्य जनजातिय स्त्रियों पर भी लागू होता है, कि वह अपनी व्यावसायिक रूचि

को पहचानें । अतः इन संदर्भों में शोध कार्य की आवश्यकता एवं महत्व स्वष्ट है ।

जनजातियों की शैक्षिक उन्नति तथा सामाजिक और आर्थिक दशा सुधारने हेतु निरन्तर प्रयास जारी है । मध्यप्रदेश में विभिन्न विकास विभागों द्वारा विशेष योजनाएँ क्रियांवित की जा रही है ।

दूरस्थ अंचलों के आदिवासी बच्चों की आवासीय सुविधा तथा पढ़ाई के लिये अनुकूल वातावरण सुलभ कराने हेतु बालक तथा बालिकाओं के लिय अलग – अलग पूर्व माध्यमिक और मैट्रिकोत्तर छात्रावास (43880 सीटें), 97 मैट्रिकोत्तर छात्रावास (5730 सीटें) तथा 738 आश्रम (32010 सीटें) संचालित हैं । इसके अतिरिक्त विशिष्ट संस्थाओं के 15 छात्रावास (3675 सीटें) तथा क्रीड़ा परिसरों के 24 छात्रावास (2400 सीटें) भी संचालित हैं (मध्यप्रदेश वार्षिकी, R., 1993, P. 114).

वर्ष 1991–92 में 35 पूर्व माध्यमिक छात्रावास, 5 मेट्रिकोत्तर छात्रावास तथा 50 आश्रम नवीन खोलने के साथ 50 प्राथमिक शालाओं को आश्रमों में बदले जाने के प्रस्ताव के समक्ष जनवरी, 1992 तक 35 पूर्व माध्यमिक छात्रावास (प्रत्येक 30 सीटें), 5 मैट्रिकोत्तर छात्रावास (प्रत्येक 50 सीटें), 10 आश्रम (प्रत्येक 50 सीटें) तथा 5 बड़े आश्रम (प्रत्येक 100 सीटें) नवीन खोलकर 25 प्राथमिक शालाओं को आश्रमों में बदल दिया गया (पूर्वानुसार).

वर्ष 1992–93 में 35 पूर्व माध्यमिक छात्रावास, 5 मैट्रिकोत्तर छात्रावास, 50 आश्रम नवीन खोलने के साथ 50 प्राथमिक शालाओं को आश्रमों में परिवर्तित कर 45 प्राथमिक स्तरीय आश्रमों को माध्यमिक स्तर में बदलने का प्रावधान किया गया (पूर्वानुसार).

शिक्षाविदों तथा विद्धानों का यही मत रहा है, कि शिक्षा के संचालन में शासकीय बंधन अधिक

रहे हैं । अतः उनका उचित विकास नहीं हो पाता । वे इस बात पर आग्रह करते हैं, कि शासकीय शालाओं की संख्या क्रमशः कम कर दी जाये तथा ऐसी शिक्षा संस्थायें चलायी जाये जो अशासकीय एवं स्वायत्ता प्राप्त हों (आदिम जाति कल्याण विभाग, R., 1989,P.-21)

इस दृष्टि से जनजातियों के कल्याण के लिये कुछ स्वायत आश्रमशाला और अशासकीय आश्रमशाला एवं कुछ स्वायत्त शैक्षिक संस्थाओं को राज्य शासन द्वारा अनुदान प्रदान किया जाना प्रारंभ किया गया । जिसके अंतर्गत वर्ष 1991–92 में ऐसी 25 संस्थाओं को 130 लाख रूपये अनुदान दिया गया । वर्ष 1992–93 में इन अशासकीय संस्थाओं को 210 लाख रूपये की अनुदान राशि देने का प्रावधान किया । वही जनजातिय क्षेत्रों के विधार्थियों को व्यवसायिक क्षमता प्रदान करने के लिये जनजातिय क्षेत्रों के 360 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किये गये । यूनीसेफ और भारत सरकार की योजना के अंतर्गत 3 पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र जनजातिय क्षेत्रों में संचालित किये गये (मध्यप्रदेश वार्षिकी, R., 1993,P.-116)

अतः वर्तमान परिपेक्ष्य में भारत के संपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा का आवश्यक अंग है, जिसके द्वारा ही वर्तमान भारत में जनजातिय वर्ग आगे आ सकेगा क्योंकि शिक्षा ही वह एक मात्र साधन है, जिसके द्वारा जनजातिय क्षेत्रों का शैक्षिक के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव है ।

समस्या कथन :

अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय एवं शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता एवं व्यावसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन।

उद्देश्य :

1. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता का अध्ययन करना ।

2. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत आदिवासी छात्राओं की व्यावसायिक रूचि का अध्ययन करना ।

3. शासकीय विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता का अध्ययन करना ।

4. शासकीय विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत आदिवासी छात्राओं की व्यावसायिक रूचि का अध्ययन करना ।

5. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय एवं शासकीय विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना ।

6. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय एवं शासकीय विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत आदिवासी छात्राओं की व्यावसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन करना ।

7. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय एवं शासकीय विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता का व्यावसायिक रूचि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना ।

परिकल्पनाऐं :

शोधकर्ता ने शोधकार्य में निम्न शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया हैं ।

1. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय एवं शासकीय विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता में अंतर नहीं होता है ।

2. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय एवं शासकीय विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत आदिवासी छात्राओं की व्यावसायिक रूचि में अंतर नहीं होता है ।

3. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता एवं व्यावसायिक रूचि में सह–संबंध नहीं होता है ।

4. शासकीय विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता एवं व्यावसायिक रूचि में सह–संबंध नहीं होता है ।

शब्द परिचय :

शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध संपादन करने में विशिष्ट तकनीकी शब्दों एवं शोध यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो सामान्यतः अधिकांश पाठक आसानी से समझ नहीं पाते हैं । अतः शोधकार्य का लाभ सामान्य पाठकों तक पहुँचाने के लिये एवं शोध अंशों को आसानी से समझाने के लिये आवश्यक है, कि कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण किया जाय ।

प्रस्तुत लघुशोध में प्रयुक्त किये गये कुछ मुख्य शब्दों का परिभाषीकरण शोधकर्ता द्वारा इस प्रकार किया गया है ।

1. मानसिक योग्यता :

बिने और साइमन (1905)

"निर्णय, सद्भावना, उपकरण, आदि समझने की योग्यता, युक्तियुक्त तर्क और वातावरण में अपने को व्यवस्थित करने की शक्ति ही मानसिक योग्यता है"(माथुर, 1989–89, पेज–159).

बर्ट (1909)

"नवीन मनोशारीरिक संयोगों के आयोजन द्वारा अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में पुर्नव्यवस्थापन की शक्ति ही मानसिक योग्यता है"(पूर्वानुसार).

2. अनुदान

किसी योजना अथवा कार्य के लिये शासन द्वारा दिया गया ऐसा धन, जो वापस नहीं लिया जाता है एवं जो ऋण के रूप में ना होकर दान के रूप में होता है, अनुदान कहलाता है ।

3. व्यावसायिक रूचि

व्यावसायिक रूचि का तात्पर्य किसी व्यक्ति का किसी विशेष प्रकार के व्यवसाय के प्रति आर्कषण से है । व्यक्ति की व्यावसायिक रूचि उसकी स्वयं की या किसी अन्य स्त्रोत के माध्यम से व्यक्त किया गया सकारात्मक दृष्टिकोण है ।

4. व्यावसायिक शिक्षा

गुड (1973)

व्यावसायिक शिक्षा कॉलेज स्तर से नीचे शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम है, जो सीखने वाले को

चुने हुए किसी व्यवसाय में प्रवेश के लिये तैयार करता है (P. -644)

5. जनजाति :

मजूमदार (1962)

"जनजाति कुछ परिवारों का समूह है, जो एक निश्चित भू–भाग में निवास करता है, एक भाषा बोलता है, परस्पर शादी विवाह करता है, एक व्यवसाय अपनाए हुए है और व्यवस्था रखने के लिये एक मान्य चिंह स्थिर किये हुए है" (मल्होत्रा, 1984–85, P. -36)

6. आदिवासी :

आदिवासी शब्द जनजाति शब्द का पर्यायवाची है । जनजातियाँ आदिकाल से एक ही स्थान पर एक ही तरह का रहन सहन, भाषा, संस्कृति का अनुसरण करती आ रही है, जिसके फलस्वरूप जनजातियों को आदिवासी भी कहा जाता है ।

अध्ययन का सीमांकन :

किसी भी अनुसंधान या शोधकर्ता की विश्वसनीयता एवं शुद्धता के लिये आवश्यक है, कि इसका एक निश्चित क्षेत्र हो इससे शोधकार्य व्यवस्थित एवम् सटीक होता है, जिसके परिणाम विश्वसनीय होते हैं ।

1– प्रस्तुत शोधकार्य आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक शासकीय विद्यालय कन्यापरिसर एवं एक अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय हाँलीक्रास अम्बिकापुर जिला सरगुजा तक सीमित है ।

2– यह शोध कार्य सिर्फ कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं की आदिवासी छात्राओं पर ही किया गया है ।